छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

"अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना–2018"

प्रस्तावना :– छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, प्रदेश की एक बड़ी आबादी के आय का स्त्रोत कृषि आधारित है। कृषकों द्वारा कृषि कार्य हेतु विभिन्न बैंकों/सहकारी समितियों से अल्पकालीन कृषि ऋण लिया जाता है। प्रदेश में विगत कई वर्षों से अवर्षा एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल की क्षति होती आयी है। जिस वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश के कृषकों द्वारा विभिन्न मंचों के माध्यम से कृषि ऋण माफ करने हेतु सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। प्रदेश की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि, कृषकों के बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण माफ कर दिये जाने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा वे बेहतर स्थिति में अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अतः कृषकों के व्यापक हित में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों के दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार ऋण माफी योजना निर्धारित की जाती है :–

(01) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह योजना **"अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना–2018"** कहलाएगी।

(दो) यह योजना अल्पकालीन कृषि ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया ऋण, के लिये प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा।

(02) परिभाषाएं

(एक) कृषक :– "कृषक" का अभिप्राय, ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो।

R. Shan.. 4/7/9

(दो) **सीमांत कृषक** :– **"सीमांत कृषक"** से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो अधिकतम 2.50 एकड़ तक भूमि धारण करता हो।

(तीन) **लघु कृषक** :– **"लघु कृषक"** से अभिप्राय, ऐसे कृषक से है जो 2.50 एकड़ से अधिक तथा 5.00 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो।

(चार) **बड़े कृषक** :– **"बड़े कृषक"** से अभिप्राय, ऐसे कृषक से है जो 5.00 एकड़ से अधिक कृषि भूमि धारण करता है।

(पांच) **स्व–सहायता समूह** :– **"स्व–सहायता समूह"** से अभिप्राय, कृषकों के ऐसे समूह से है जो दिनांक 31 मार्च, 2018 के पूर्व से गठित है, जिनके द्वारा समिति/बैंक से फसल ऋण के प्रयोजन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया हो।

(छः) **संयुक्त देयता समूह** :– **"संयुक्त देयता समूह"** से अभिप्राय, कृषकों के ऐसे समूह से है जो दिनांक 31 मार्च, 2018 के पूर्व से गठित है, जिनके द्वारा समिति/बैंक से फसल ऋण के प्रयोजन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया हो।

(सात) **स्थगित ऋण** :– **"स्थगित ऋण"** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया हो।

(आठ) **मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण** :– **"मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण "** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित किया गया हो।

(नौ) **मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण** :– **"मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण "** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों पर मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण की किस्तों को पुनः परिवर्तित किया गया हो।

R. Shukla

(दस) बैंक :– **"बैक"** से अभिप्राय है, सहकारी बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जिसे आगे 'बैंक' के नाम से उल्लेखित किया गया है।

(ग्यारह) संस्था :– **"संस्था"** से अभिप्राय, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, से है।

(बारह) अल्पकालीन कृषि ऋण :– **"अल्पकालीन कृषि ऋण"** का अभिप्राय, सीधे किसानों अथवा किसानों के समूह (स्व सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह) को दिये गये अल्पावधि फसल ऋण से है।

(तेरह) पंजीयक :– **"पंजीयक"** का अभिप्राय, सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो इस योजना की कंडिका (2)(दस) में वर्णित सहकारी बैंक एवं कंडिका (2)(ग्यारह) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

(चौदह) संचालक, संस्थागत वित्त :– **"संचालक, संस्थागत वित्त "** का अभिप्राय, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधीन कार्यरत संचालक संस्थागत वित्त से है।

(03) ऋण माफी की पात्रता :–

(i) प्रदेश के सभी कृषकों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी।

(ii) दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के मध्य लिंकिंग या नगद के रूप में चुकाये गये ऋणों की राशि भी माफी योग्य रहेगी, जो कृषकों को वापसी योग्य होगी।

R.SL-L179

(04) **योजना में अपवर्जन** :– इस योजना के अंतर्गत अल्पकालीन कृषि ऋण को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। ऋण माफी का लाभ केवल कंडिका–(02)(दस) में दर्शित बैंक एवं कंडिका–(02)(ग्यारह) में दर्शित संस्थाओं से लिए गये अल्पकालीन कृषि ऋण पर होगा। कार्पोरेट/पार्टनरशीप फर्म/ट्रस्ट को दिये गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित माईक्रोफाईनेंस संस्थान (MFIs) द्वारा वितरित किंसी भी प्रकार के ऋण इस योजना में शामिल नहीं होंगे। खड़ी फसल के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों हेतु प्लेज एवं हाईपोथिकेशन के विरूद्ध दिये गये ऋण इस योजना में शामिल नही होंगे।

(05) **ऋण माफी हेतु बजट** :– ऋण माफी हेतु आवश्यक बजट की मांग संबंधित बैंकों द्वारा अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से किया जावेगा।

(06) **ऋण देने वाली संस्था के दायित्व** :– ऋण देने वाली प्रत्येक बैंक/संस्था इस योजना के अधीन पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान के संबंध में ऋण माफी की सत्यता एवं विश्वसनीयता के लिये जिम्मेदार होगी। ऋण देने वाली बैंक/संस्था द्वारा इस योजना के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र पर ऋण देने वाली बैंक/संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम होना चाहिये।

(07) **लेखा परीक्षा** :– प्रत्येक ऋण देने वाली बैंक/संस्था जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है उसकी लेखा बहियॉ राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्याविधि के अनुरूप लेखापरीक्षा के अधीन होगी कि लेखापरीक्षा राज्य शासन द्वारा निर्धारित संगामी लेखा परिक्षकों, सांविधिक लेखापरिक्षकों या विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। राज्य शासन किसी ऋण दाता बैंक/संस्था के मामले में या उसकी किसी एक या अधिक शाखाओं को विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश दे सकती है।

(08) **प्रचार–प्रसार** :– इस योजना में शामिल प्रत्येक ऋण देने वाले बैंक/संस्था की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी।

R. 6L - 4179

(9) **उपयोगिता प्रमाण पत्र :–**

(i) सहकारी बैंकों के मामले में ऋण माफी की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के मामले में ऋण माफी की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बैंक द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) **व्याख्या एवं कठिनाई दूर करने की शक्ति :–** इस योजना के किसी पैराग्राफ या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो राज्य शासन द्वारा संदेह का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

यदि योजना के प्रावधानों या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य शासन कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे जो भी आवश्यक या तत्काल अपेक्षित प्रतीत होगा उसके अनुसार आदेश जारी करेगी।

R.Sh...

(रीता शांडिल्य)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 15–45/15–2/2018/3373 अटल नगर, दिनांक : 21/12/2018

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
5. संचालक, संस्थागत वित्त, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
6. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
8. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
9. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन।
10. कलेक्टर–जिला समस्त, छत्तीसगढ़।
11. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर।
12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

R.SL-L179

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग